

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0-69/2024

(जीसीएमएस नं0 2024/19)

उनवान —सरकार बनाम मुकेश कुमार पुत्र श्री रामबाबू सिंघल, उम्र 55वर्ष, जाति वैश्य विक्रेता मैसर्स: मुकेश मावा भण्डार, पुराना बसस्टैंड, निवासी गिराज कालोनी, धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक —30.05.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त **मुकेश कुमार पुत्र श्री रामबाबू सिंघल, उम्र 55वर्ष, जाति वैश्य विक्रेता मैसर्स: मुकेश मावा भण्डार, पुराना बसस्टैंड, धौलपुर, निवासी गिराज कालोनी, धौलपुर** के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.07.2023 को अभियुक्त/अप्रार्थी के दुकान मैसर्स: **मुकेश मावा भण्डार, पुराना बसस्टैंड, धौलपुर**, निवासी गुलाब बाग, धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान में रखे फ्रीजर में लगभग 100 किलोग्राम मावा को आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त मावा में मिलावट का शक होने पर उक्त मावा को 1 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जाँच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मावा का तेल नमूना डी-3098 वास्ते जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जाँच रिपोर्ट एलएस/183/एक्ट/2024/207 दिनांक 27.03.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया मावा अवमानक (Substandard) प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त अवमानक (Substandard) मावा का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी अवमानक (Substandard) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी **मुकेश कुमार पुत्र श्री रामबाबू सिंघल, उम्र 55वर्ष, जाति वैश्य विक्रेता मैसर्स: मुकेश मावा भण्डार, पुराना बसस्टैंड, धौलपुर, निवासी गिराज कालोनी, धौलपुर** पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत राशि 31,000/- रुपये (इक्कतीस हजार रुपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कौशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)